

क्रमांक प. 2(17)वित्त/कर/2009

जयपुर, दिनांक : 28.12.2017

संयुक्त शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव,
नगरीय विकास विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन),
पंचायती राज विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
कृषि पंत भवन, जयपुर।

मैनेजिंग डायरेक्टर,
रीको, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर।

सचिव,
राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-भू-आवंटन से संबंधित नियमों में संशोधन कर इन नियमों में भूमि के आवंटन/विक्रय के दस्तावेजों यथा लीजडीड/विक्रय पत्र के निष्पादन के समय स्टाम्प ड्यूटी का अनिवार्य रूप से भुगतान करने एवं ऐसी लीजडीड का निश्चित समयावधि में पंजीयन करने के प्रावधान सम्मिलित किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.12.2017 (फोटोप्रति संलग्न) की ओर आकर्षित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि इस संबंध में आप द्वारा की गई कार्यवाही/प्रगति से दिनांक 02.01.2018 तक इस विभाग को आवश्यक रूप से अवगत कराने का श्रम करावें ताकि स्थिति से श्रीमान शासन सचिव, वित्त (राजस्व) को अवगत कराया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

3

CEM/2287
2/1/18
1/1-2018

CEM
↓

01-01-18

AGG

↓
2/1/18

OS
2/1/18

↓
2/1/18